International Journal of Social Science and Education Research

**ISSN Print:** 2664-9845
**ISSN Online:** 2664-9853
**Impact Factor:** RJIF 8.42
IJSSER 2025; 7(2): 874-876
www.socialsciencejournals.net
Received: 15-11-2025
Accepted: 19-12-2025

**रवि शंकर**
शोधार्थी, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ, उत्तर प्रदेश, भारत

**शुभम अग्रवाल**
एम.ए., राजनीति विज्ञान विभाग, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (IGNOU), नई दिल्ली, भारत

**कुलदीप कुमार त्यागी**
सहायक प्रोफेसर, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ, उत्तर प्रदेश, भारत

**Corresponding Author:**
**रवि शंकर**
शोधार्थी, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ, उत्तर प्रदेश, भारत

# हिन्दू महासभा द्वारा प्रस्तावित हिन्दुस्थान फ्री स्टेट का संविधान (C.H.F.S.): एक ऐतिहासिक अध्ययन

**रवि शंकर, शुभम अग्रवाल और कुलदीप कुमार त्यागी**

**DOI:** https://www.doi.org/10.33545/26649845.2025.v7.i2k.451

**सारांश**
वी०डी० सावरकर जिन्होंने रत्नागिरि में सन् 1923 में ऐतिहासिक पुस्तक 'हिन्दुत्व' [1] की रचना की थी, एक अद्वितीय स्वतंत्रता सेनानी तथा क्रांतिकारी होने के साथ–साथ एक राजनीतिक.सामाजिक विचारक भी थे। हिन्दू.महासभा के अध्यक्ष पद पर लगातार सात बार रहते हुए उन्होंने हिन्दू–राष्ट्र के दर्शन को न केवल अत्यंत समृद्ध बनाया बलिक स्वतंत्र भारत में स्वतंत्र नागरिक जिस प्रकार का जीवन–यापन करें तथा उनके अधिकार एवं कर्त्तव्य क्या हो इसकी परिकल्पना भी उन्होंने प्रस्तुत की। अंततः उनकी परिकल्पना 'हिन्दुस्थान फ्री स्टेट' नामक दस्तावेज के रूप में फलीभूत हुई।

**मूलशब्दः–** हिन्दुत्व, हिन्दू महासभा, वीर सावरकर, लोकतंत्र।

## प्रस्तावना
वी०डी० सावरकर का जन्म 28 मई 1883 को ग्राम भगूर, जिला नासिक में हुआ था। पिता दामोदरपंत सावरकर के अत्यंत शिक्षित होने तथा घर पर पढ़ाई–लिखाई का अच्छा माहौल होने से बचपन से ही तात्याँ को जहाँ एक तरफ प्राचीन हिन्दू धर्मशास्त्रों तथा पुराणों का अच्छा ज्ञान हो गया, वहीं दूसरी तरफ उन्होंने पाश्चात्य राजनीतिक चिंतकों जैसे लॉक, मैजिनी, मार्क्स, रूसो इत्यादि द्वारा प्रस्तुत विचारों का ज्ञान प्राप्त किया। जब वे युवा हुए तब वे वकालत की पढाई करने इंग्लैण्ड गये, वहाँ उन्हें इंग्लैण्ड की राजनीतिक प्रणाली, संसदीय– व्यवस्था, लोकतंत्र, राजतंत्र, मतदान, नागरिकों के अधिकार एवं कर्त्तव्यों का पर्याप्त ज्ञान मिला। सन् 1923 में अपनी प्रतिबंधित.स्वतंत्रता के दौरान रत्नागिरी में रहते हुए उन्होंने युग–प्रर्वतक पुस्तक ''हिन्दुत्व'' लिखी, जिसने आगे चलकर सारे हिन्दुत्ववादी संगठन आन्दोलन को प्रभावित किया। सन् 1937 में कर्णावती (अहमदाबाद) अधिवेशन [2] में वी०डी० सावरकर हिन्दू महासभा के अध्यक्ष बने तथा सन् 1942 तक वे लगातार अध्यक्ष चुने जाते रहे। इस दौरान अपने अध्यक्षीय भाषणों एवं लेखनी से उन्होंने हिन्दुत्ववादी आंदोलन को नई दिशा–दशा प्रदान की। जब वे सन् 1939 में कलकत्ता अधिवेशन के दौरान अपना अध्यक्षीय भाषण दे रहे थे, तब उन्होंने स्वतंत्र भारत को कैसा होना चाहिए इसकी रूपरेखा प्रस्तुत की थी। उनके अध्यक्षीय भाषण से ही प्रेरित होकर सन् 1944 में अरिवल भारत हिन्दू महासभा ने अपना 'संविधान दस्तावेज' प्रस्तुत किया, जिसे 'कॉन्स्टटयूशन ऑफ हिन्दुस्थान फ्री स्टेट' (CHF) नाम दिया गया।[3] कलकत्ता अधिवेशन का अध्यक्षीय भाषण में वी०डी० सावरकर ने अपनी 'हिन्दुत्व' पुस्तक (1923) में वर्णित विचारों को मूर्त रूप देने का प्रयास किया था। सावरकर के अनुसार सभी नागरिकों के अधिकार एवं कर्त्तव्य एक समान होने चाहिए। चाहे वो किसी भी जाति अथवा धर्म से हों। शर्त बस यह रहेगी कि वो व्यक्ति हिन्दुस्थान के प्रति निष्ठावान हो तथा किसी प्रकार के विशेषाधिकार की अपेक्षा न करे। भावी संविधान राष्ट्रीय–हित को सर्वोपरि मानेगा तथा इसकी रक्षा हेतु एवं सार्वजनिक शांति बनाये रखने हेतु जो अधिकार सीमित किए जाएंगे, उनमें धर्म, जाति अथवा क्षेत्र के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। [4] सावरकर का दृढ़ विश्वास 'एक व्यक्ति–एक मत' के सिद्धांत में था। वे मुसलमानों कि यह मांग कि अल्पसंख्यक होने के कारण दो अथवा तीन मतों के अधिकारी हैं, के सख्त विरोधी थे। उन्होंने अपने भाषण में जवाहरलाल नेहरू, गांधीजी, सी० राजगोपालाचारी एवं अन्य कांग्रेसी नेताओं की कड़ी आलोचना की, क्योंकि वे मुस्लिम लीग की मांगों के आगे नतमस्तक हुए पडे थे। परिणामस्वरूप हिन्दुस्थान की अखण्डता एवं इसके राष्ट्रीय हित पर निरन्तर खतरा मँडरा रहा था। वी०डी० सावरकर एक दूरदर्शी राजनीतिक विचारक एवं यथार्थवादी राजनीतिज्ञ थे। उन्होंने काफी पहले ही यह भाप लिया था कि मुस्लिम–लीग एवं मु०अ० जिन्ना राष्ट्रीय अखण्डता के लिए बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकते हैं।

परिणामस्वरूप उन्होंने देशवासियों एवं कांग्रेस के अर्धनिद्रा से ग्रसित नेताओं को आगाह करना अपना कर्त्तव्य समझा। राष्ट्रीय सुरक्षा एवं शांति की रक्षा हेतु वे नागरिक–अधिकारों पर कुछ प्रतिबंधों के हिमायती अवश्य थे, परन्तु वे प्रतिबंध नागरिकों पर बिना किसी भेदभाव के लागू होने चाहिए। [5] अपने अध्यक्षीय भाषण में उन्होंने कांग्रेस को एक 'जातीय संस्था' से संबोधित कर उसकी नीतियों का विरोध किया। [6] उनका मानना था कि कांग्रेस ने पूर्व में मुस्लिम लीग की पृथक–निर्वाचन क्षेत्र की मांग मानकर तथा 'हिन्दू–बहुसंख्यक' तथा 'मुसलमान–अल्पसंख्यक' जैसे विभागों को मान्यता देकर हिन्दू–हितों को गम्भीर नुकसान पहुंचाया है। इस प्रकार हिन्दू–अधिकारों की कीमत देकर मुसलमानों से देशभक्ति के लिए निष्ठा खरीदने का कार्य किया है। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग लगातार परायी विदेशी ताकतों के साथ गठजोड करके भारत–विभाजन की धमकी देकर राष्ट्रीय हितों को नुकसान पहुचाने का कार्य कर रही थी। [7] हिन्दू महासभा को यह मान्य नहीं था कि मुस्लिम लीग के दशक में आकर राष्ट्रीय अखण्डता एवं हिन्दू–अधिकारों के साथ किसी भी तरह का समझौता करें।

## वी०डी० सावरकर के अनुसार

''प्रत्येक अल्पसंख्यक वर्ग अपने बच्चों को भाषा की शिक्षा देने हेतु विद्यालय प्रारंभ कर सकेगा तथा धार्मिक व सांस्कृतिक संस्थाएँ भी चला सकेगा। उन्हें राज्य से आंशिक आर्थिक सहायता भी प्राप्त होगी; परन्तु उसकी मात्रा उस जाति द्वारा अर्थकोष में जो धन दिया जाएगा, उस पर निर्भर करेगी। यही तत्व बहुसंख्यक वर्ग पर भी समान रूप से लागू होगा।''[8]

इसके साथ ही सावरकर ने हिन्दी–राष्ट्र को एक आधुनिक जीवंत राष्ट्र के रूप में स्थापित करते हुए स्पष्ट कहा–

''इस हिन्दी राष्ट्र में सभी पंथ, उपपंथ, वंश, जाति, धर्म तथा संप्रदाय हिन्दू, मुसलमान, एंग्लों–इंडियन, रिव्रश्चन आदि सभी को एक ही राजनीतिक घटना में समानता तथा अखंड रूप से एकत्रित करना संभव होगा। इस प्रकार का संयुक्त हिन्दी राज्य ही हिन्दी राष्ट्र है।''[9]

अतः कलकत्ता अधिवेशन के अपने अध्यक्षीय भाषण में वी०डी०र सावरकर ने यह स्पष्ट कर दिया कि भावी भारतीय संविधान की मूल.आत्मा 'एक व्यक्ति, एक मत' एवं राष्ट्रीय–सुरक्षा होगी। [10] वी०डी० सावरकर के इस अभिभाषण से प्रेरित होकर हिन्दू–महासभा ने स्वतंत्र भारत के लिए एक संवैधानिक–दस्तावेज तैयार करने का निश्चय लिया। प्रस्तावित संविधान निर्माण के लिए समिति का गठन किया गया, जिसमें डी०वी० गोखले, एल०वी० भोपतकर, के०वी० केलकर तथा एम०आर० धमढ़ेरे शामिल थे। प्रथम बार यह प्रस्तावित संविधान–निमात्री समिति 31 मई 1944 को बैठी तथा कुल मिलाकर इसने पैंतीस बैठकें कीं। [11] 15 जुलाई 1944 को हिन्दू महासभा द्वारा निर्मित संविधान प्रस्तावित हुआ तो सौ पृष्ठों के इस संविधान में कुल मिलाकर 111 अनुच्छेद थे तथा इसकी प्रस्तावना महान हिन्दुत्वादी नेता एन०सी० केलकर में लिखी।[12]

सन् 1939 में कलकत्ता अधिवेशन में दिए वी०डी० सावरकर के अध्यक्षीय भाषण ने महत्वपूर्ण प्रेरणा–स्त्रोत का कार्य किया। साथ हीं संविधान–निमात्री समिति के सदस्यों ने प्राचीन भारतीय धर्मशास्त्रों, पुरणों एवं स्मृतियों का भी गहन अध्ययन किया तथा तात्कालिक विश्व के सभी संविधानों का भी पर्याप्त विश्लेषण किया। प्राचीन भारतीय धर्मग्रंथों का विस्तृत अध्ययन करने पर उन्होंने वह निष्कर्ष निकाला कि प्राचीन भारत में राजकीय व्यवस्था में शासक की वैधता अत्यंत आवश्यक थी। वैदिक काल में लोग की सहमति ही शासक के स्वीकृति का आधार थी। शासक विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखते थे कि विधि के अनुपालन में किसी के साथ भी भेदभाव न हो तथा विधि का शासन ही सर्वमान्य था। वाल्मीकि रामायण एवं महाभारत में राज्य, राजनीति, लोकतंत्र, धर्म, शासन, प्रशासन, विधि इत्यादि के संवैधानिक विचार प्रचुरता से मिलते हैं। [13] राम.राज्य का आदर्श तो महात्मा गांधी एवं वीर सावरकर दोनों को अत्यंत प्रिय था। आदर्श राजा से यह अपेक्षा की जाती थी कि वह प्रजा का रक्षण करते हुए दुष्टों का दलन करे। सावरकर को भी यही अभीष्ट था। महाभारत में भी यह वर्णन मिलता है कि राजा के राज्याभिषेक के दौरान राज पुरोहित पलाश दण्ड के प्रहार से राजा को सर्तक करता था और घोषणा करता थाः– ''तुम अदण्डय नहीं हो अपितु, धर्म के नियंत्रण में हो। तुम्हें धर्म मर्यादित करेगा और तुम्हारा धर्म के रूप में अधिकार नहीं वरन् प्रजारंजन का दायित्व है।'' [14] महाभारत के भीष्म पितामह के

## अनुसार

''राजा के धर्मो में सारे त्यागों का दर्शन होता है। संपूर्ण जीवलोक का अंतिम आश्रय राजधर्म में ही है। राज्याभिलाषी राजाओं की अपनी प्रजा की रक्षा करने के अतिरिक्त कोई भी सनातन धर्म नहीं है।'' [15]

कौटिल्य का अर्थशास्त्र भी शासक को प्रजा का कल्याण करते हुए शासन करने की अनुशंसा करता है। हिन्दू महासभा द्वारा प्रस्तावित हिन्दुस्थान फ्री स्टेट का संविधान भी 'लोक' की सहमति पर आधारित था तथा लोकतंत्र का पक्षधर था। साथ ही यह किसी भी जाति अथवा धर्म 'वर्ग' को अनुचित विशेषाधिकार प्रदान करने का भी विरोधी था। इसकी उद्देशिका में वह वर्णित था कि सम्पूर्ण संप्रभुता लोगो में सन्निहित होगी तथा यह संविधान लोगों को स्वतंत्रता एवं न्यायाधारित जीवन जीने का अधिकार प्रदान करेगा, जिससे उनका जीवन भारत में तथा विदेशों में भी प्रगतिशील एवं सफल हो सके। साथ ही सभी हिन्दुस्थानी नागरिक जाति, लिंग तथा धर्म के भेदभाव के बिना संविधान द्वारा प्रदत्त सभी अधिकारों का उपयोग कर पाएंगे सिवाय तब जब राष्ट्रीय शांति एवं अखण्डता को खतरा हो। पुरुष एवं स्त्री में किसी प्रकार का लिंग–आधारित भेदभाव नहीं हो तथा दोनों समान नागरिक होंगे। प्रस्तावित संविधान में कुल सोलह मौलिक अधिकार थे जिनमें कानून के समक्ष समानता का अधिकार, मुफ्त प्राइमरी शिक्षा का अधिकार, कुछ–पाबंदियों के साथ कानूनसम्मत हथियार रखने का अधिकार, श्रम–अधिकार, संपत्ति का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार आदि। [16] प्रस्तावित संविधान के अनुसार स्वतंत्र देश का नाम हिन्दुस्थान होगा तथा इसका कोई राजकीय धर्म नहीं होगा। [17] न ही इसके किसी भी प्रांत का कोई राज्य–धर्म होगा। वी०डी० सावरकर एवं हिन्दू महासभा द्वारा राष्ट्र की अखण्डता के लिए यह प्रावधान आवश्यक समझा गया, ताकि कोई भी प्रांत भविष्य में हिन्दुस्थान से पृथक अस्तित्व की मांग न करे। संविधान के अनुसार सभी अल्पसंख्यकों को उनकी भाषा, धर्म, संस्कृति आदि की रक्षा के लिए पर्याप्त संसाधन प्राप्त होगा मगर देश के अन्दर एक अलग देश बनाने की अनुमति नहीं होगी। लोक सेवाओं में किसी प्रकार का विशेषाधिकार मान्य नहीं होगा तथा चयन केवल योग्यता के आधार पर होगा। [18] राष्ट्रीय हित एवं सुरक्षा तथा मानव–मूल्यों की रक्षा ही हिन्दुस्थान फ्री स्टेट के संविधान के आधार थे।

## संदर्भ एवं टिप्पणियाँ


1. https://theprint.in/opinion/savarkars-hindu-mahasabha-wrote-a constitution-that-treated-hindus-muslims-equally/1773614/? amp.
2. सावरकर समग्र, प्रभात प्रकाशन, नई दिल्ली, 2014, भाग–9, पृष्ठ सं० 379।
3. Vikram Sampath, Savarkar: । ब्वदजमेजमक स्मेहंबलरू 1924.1966ए Penguin Random House India Pvt. Ltd, Gurugram, 2021, p. 394.
4. सावरकर समग्र, उपरोक्त।

5. वही, पृष्ठ सं० 380।
6. वही।
7. वही।
8. वही, पृ. 381।
9. वही, पृ. 379।
10. वही, 381।
11. Vikram Sampath, op.cit., p,394.
12. https://the point.in/opinion, op.cit.
13. संजीव शर्मा, चंचल, नैनः प्राचीन भारतीय राजनीति, राहुल पब्लिशिंग हाऊस, मेरठ, 2023, पृ. 9–12।
14. संजीव कुमार शर्मा, चंचल नैन, पृ. 32।
15. महाभारत शांति पर्व (71029)।
16. Vikram Sampath, op.cit. p. 397-395.
17. वही, पृ. 398।
18. रघुवेंद्र तंवर, विनायक दामोदर सावरकर, प्रभात प्रकाशन, दिल्ली, 2016, पृ. 76।